165
18-11-2022

Mail Id – dmcumdeoddn1@gmail.com
Tele. 0135-2624216 Toll Free 1950

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या–2563 /25-47 (2022–23) दिनांक 18 नवम्बर, 2022

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद देहरादून।

विषयः– **Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutionsl reg.**

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या **4169/XXV-97/2022** दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के साथ संलग्न वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या **23/AERO/2022-ERS** दिनांक 07 नवम्बर, 2022 (प्रति संलग्न) द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाली मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यावधिक तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष चलाये जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नये/सम्भावित मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

विगत पुनरीक्षण में 01 जनवरी, की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण की सुविधा थी, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पंजीकरण नियमों में बदलाव के अन्तर्गत अर्हता तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु चार अर्हता अतिथियों 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर का प्राविधान कर दिया गया है, उक्त तिथियों में प्रत्येक सम्भावित मतदाता को मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु अपना आवेदन/दावा अग्रिम रूप से जमा कर सकता है।

01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर सम्पादित होने रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार जनपद में 09 नवम्बर, 2022 को विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया हैं। आलेख्य अवधि (दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022) में बी.एल.ओ. मतदाता सूची के साथ समस्त पदाविहित स्थलों (मतदेय सथलों) पर उपस्थित रहेंगें। इसके साथ ही निर्वाचक नामवली **https://ceo.uk.gov.in** पर भी जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग नए/सम्भावित मतदाताओं के अन्तर्गत 18 से 19 आयुवर्ग के नामांकन को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयार किये जा रहे हैं। 15–19 आयुवर्ग के सम्भावित निर्वाचकों में से अधिकांश शैक्षिक संस्थानों में युवा/सम्भावित मतदाताओं का पंजीकरण करवाये जाने में सक्रिय भागीदारी से अधिक से अधिक संख्या में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निम्न व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये गये हैं–

(i) **A dedicated space on Institutions websites where a link for "registration of new voters" along with awareness slogans may be given, to encourage the students for their registration as electors; this link would direct the applicant to Form 6-'Registration of New Voter' on NVSP Portal or voters.eci.gov.in**

(ii) **A field embedded towards the end of registration/examination form with tagline "application form to be a new voter", A click on the same would direct the applicant to Form 6-"Registration of New Voter" on NVSP Portal or voters .eci.gov.in by hyper-linking the tagline with portal.**

उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता को शामिल करने हेतु आवश्यक रूपरेखा तैयार करने हेतु शिक्षा विभाग/शिक्षा परिषदों को [illegible] करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्लेस्टोर से Voter helpline App डाउनलोड कर मतदाता सूची में दर्ज [illegible] उपयोग में लाया जा सकता है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डो को मतदाता सूची में युवा/सम्भावित मतदाताओं के पंजीकरण के लिये सभी शैक्षणिक संस्थानों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुये आवश्यक निर्देश निर्गत कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध मे अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ.शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी(प्र.)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, देहरादून।
पत्रांक: 2129 /2022-23/ दिनांक: 21/11/22

सेवा में,
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय,
विकासखण्ड-डोईवाला, देहरादून।

महोदय,
उपरोक्त पत्र का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

21/11/2022
खण्ड शिक्षा अधिकारी
डोईवाला, देहरादून